

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-28/2018/1110/पांच-8-2018-जी0(290)/2017

लखनऊ: दिनांक 04 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

शुद्धि पत्र

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलौपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, 30प्र0, इलाहाबाद द्वारा चयनित 20 चिकित्साधिकारियों शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-24/2018/1014/पांच-8-2018-जी0(290)/2017, दिनांक 26-03-2018 द्वारा नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी है। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-03-2018 के साथ संलग्न सूची के क्रम संख्या-4 के स्तम्भ-7 में डा0 वीरेन्द्र वर्मा की शैक्षिक योग्यता त्रुटिपूर्ण एम0बी0बी0एस0 तथा स्तम्भ-8 में त्रुटिपूर्ण जिला चिकित्सालय के स्थान पर अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, अम्बेडकर नगर अंकित हो गया है, जबकि डा0 वर्मा की शैक्षिक योग्यता एम0बी0बी0एस0/एम0डी0 जनरल मेडिसीन है।

2- अतएव उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप संख्या-24/2018/1014/पांच-8-2018-जी0(290)/ 2017, दिनांक 26-03-2018 के साथ संलग्न सूची के क्रम -4 के स्तम्भ-7 में शैक्षिक योग्यता एम0बी0बी0एस0/एम0डी0 जनरल मेडिसीन तथा स्तम्भ-8 में तैनाती जिला चिकित्सालय, अम्बेडकर नगर पढा जाय।

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-03-2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष शर्तें यथावत रहेगीं।

उमेश मिश्र,

विशेष सचिव।

संख्या-28/2018/1110/(1)/पांच-8-2018-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अम्बेडकर नगर।
- 8- मुख्य चिकित्साधिकारी, अम्बेडकर नगर ।
- 9- कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर ।
- 10- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 11- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 12- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आसा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।